न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 43/2018 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. पप्पू पुत्र नानगराम,
2. मानसिंह,
3. बोदन पुत्रान श्री झूत्या,
4. लीलाराम पुत्र श्री भौरया पौत्र श्री झूत्या,
5. रामप्रसाद पुत्र श्री हरिकिशन,
6. रामकिशोर पुत्र श्री मोहन जाति अहीर निवासी ग्राम नांगल टोडियार तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट्स

बनाम

1. प्रभू,
2. माला उर्फ मालीराम पुत्रान श्री देवीसहाय जातियान अहीर निवासीयान नांगल टोडियार तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।
3. लिछमा पुत्री श्री देवीसहाय पत्नि श्री हरी जाति अहीर निवासी ग्राम बडेर का बडा बास तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।
4. सन्तो पुत्री श्री देवीसहाय पत्नि श्री जगदीश जाति अहीर निवासी ग्राम बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..... असल रेस्पोडेन्टान

5. कम्पूरी,
6. रामकली,
7. रामवती उर्फ ग्यासो पुत्रीयान श्री नानगराम,
8. कौशल्या पुत्री श्री हरिकिशन,
9. घीसी पुत्री श्री मोहन जाति अहीर निवासी ग्राम नांगल टोडियार तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।

.....तरतीबी रेस्पोडेण्टस

उपस्थित :–
1. श्री अजीत यादव, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री सुबेसिंह यादव, अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

दिनांक :–06.12.2019

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 30.03.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि हाल खाता संख्या 193 में वर्णित खसरा नंबर 468 रकबा 0.39 है0, खाता संख्या 195 में वर्णित खसरा नंबर 454 रकबा 0.32 है0, 455 रकबा 0.30 है0, खाता संख्या 196 में वर्णित खसरा नंबर 448 रकबा 0.21 है0, 449 रकबा 0.20 है0, 449/970 रकबा 0.10 है0, 456 रकबा 0.25 है0, 460 रकबा 0.10 है0, 461 रकबा 0.35 है0, 463 रकबा 0.16 है0, 464 रकबा 0.31 है0, 465 रकबा 0.30 है0, 466 रकबा 0.32 है0, 467 रकबा 0.23 है0, 470 रकबा 0.19 है0, 471 रकबा 0.17 है0, 472 रकबा 0.39 है0, 473 रकबा 0.41 है0, 474 रकबा 0.49 है0, 475 रकबा 0.07 है0 कुल किता 17 कुल रकबा 4.25 है0, खाता संख्या 197 में वर्णित खसरा नंबर 459 रकबा 0. 12 है0, 462 रकबा 0.06 है0, खाता संख्या 204 में वर्णित खसरा नंबर 450 रकबा 0.05 है0, खाता संख्या 208 में वर्णित खसरा संख्या 206 रकबा 0.51 है0, 207 रकबा 0.22 है0, 451 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम नांगल टोडियार तहसील मालाखेडा जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी अपीलांट्स व तरतीबी रेस्पो0 की खातेदारी की आराजी है, जिसके अभिलिखित खातेदार हैं। जिस आराजी पर अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 का कब्जा अरसे दराज बुजुर्गान के समय से चला आ रहा है। तथा आज भी विवादित आराजी पर हम अपीलांट काबिज होकर काश्त कर रहे है। विवादित आराजी पर मुताबिक जमाबंदी संवत 2013 हम अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 के बुजुर्गान 7 जूडी एवं असल रेस्पो0 प्रतिवादीगण के बुजुर्गान 1 जूडी पर काबिज होकर काश्त करते थे। और उसी अनुसार आज तक वर्तमान में भी हम वादीगण अपीलांट्स एवं तरतीबी रेस्पो0 व असल रेस्पो0 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण राजस्व कर्मचारियों से मिलकर विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का हिस्सा कम करवाकर अपना हिस्सा अधिक दर्ज करवा लिया। अधीनस्थ अदालत द्वारा अपीलांट द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 30.03.2017 को खारिज फरमा दिया। जिस निर्णय दिनांक 30.03.2017 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस की शुरूआत करते हुए अपील के तथ्यों को दोहराया और अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद के तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि असल रेस्पो0 प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड में हम अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 वादीगण प्रार्थीगण का हिस्सा कम कराकर अपना हिस्सा अधिक दर्ज करा लिया। जो कलमजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड संवत 2013 के अनुसार असल रेस्पो0 अप्रार्थीगण के अधिक हिस्से को राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाना अतिआवश्यक है। तहत अदालत में पेशकर्दा वाद इस्तकरारहक व हुक्म इम्तनाई दवामी का है। असल रेस्पो0 को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है जिससे कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौका की स्थिति यथावत

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

बनी रहे और पक्षकारान के मध्य मुकदमाबाजी ना बढे। परन्तु तहत अदालत ने इन सबको नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है। कानूनन सभी पक्षकारान प्रतिवादीगण की तामील होना आवश्यक है लेकिन सभी प्रतिवादीगण की तामील होने से पूर्व ही विधिक प्रकिया एवं प्रावधानों के विपरीत बिना बहस सुने तहत अदालत ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण मैरिट पर कर दिया जो आज्ञा जेर बहस अपील कानूनन अवैध है।राजस्व वाद बउनवान प्रभूदयाल आदि वादीगण बनाम राजस्थान सरकार आदि प्रतिवादीगण विचाराधीन अदालत सहायक कलक्टर अलवर राज0 को विड्रा करने का प्रार्थना पत्र उक्त अदालत में वादीगण संख्या 5 लगायत 11 की ओर से पेश किया हुआ है। जिस तथ्य को असल रेस्पो0 ने तहत अदालत में छुपाया है लेकिन तहत अदालत ने उक्त वाद का आधार लेते हुये, अपीलाधीन आज्ञा पारित की है। चूंकि पक्षकारान के अधिकारों का निर्णय मूल वाद के निस्तारण के समय तनकीयात कायम करने के बाद साक्ष्य से होगा। दौरान विचारण मूल वाद विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौका की स्थिति यथावत बनी रहे इसलिये असल रेस्पो0 अप्रार्थीगण को कानूनन जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक था। लेकिन तहत अदालत ने उक्त दृष्टिकोण से विचार नही किया। अप्रार्थीगण असल रेस्पो0 ने हम अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 की खातेदारी की आराजी का रकबा राजस्व कर्मचारियों से साजबाज होकर कम करा दिया है। जिससे प्रथमदृष्टया केस, सुविधा व न्याय का संतुलन तथा नापूर्ति होने वाली हानि हम अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 के पक्ष में बखूबी आयद व साबित है। उक्त तीनों बिन्दु असल रेस्पो0 के पक्ष में किसी प्रकार साबित नही हैं। हम अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 ने तहत अदालत में इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का नियमित वाद धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपने अधिकारों की रक्षार्थ दायर किया गया है। तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादक न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये पारित किया है जिसे अपास्त किये जाने योग्य होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पो0 का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर में प्रकरण संख्या 1/41 प्रभू बनाम राज0 सरकार 2014 में पेश किया गया। उसी आराजीयात पर पुनः दावा पेश कर दिया। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के 1/41 प्रकरण प्रभू बनाम राज0 सरकार में जो प्रतिवादी थे अब इस दावे में रेस्पो0 हैं। दावा 1/41 में सारे वादी, अपील में अपीलांट हैं। उक्त दावे में अपीलांट सभी वादी रहे हैं।तथा अपीलांट व रेस्पोडेण्ट विवादित आराजीयात पर बतौर पट्टेदार गैरखातेदार काबिज काश्त लगातार चले आ रहे हैं। प्रभूदयाल वगैरह व दादा प्रभाती को जागीरदार द्वारा पट्टे पर दी गई थी तथा वादीगण के पिता देवीसहाय तथा उनकी मृत्यु के बाद समस्त वादीगण राजस्व रिकार्ड में बतौर पट्टेदार गैर खातेदार चले आ रहे हैं, काबिज है। गैर खातेदार है तो बंटवारा का दावा करने का अधिकार नही है।उस दावे में गैर खातेदारी से खातेदारी की प्रार्थना की गई है। अतः जब समान पक्षकार (अपीलांट व रेस्पो0) वादी है तो अब नया दावा कैसे ला सकते हैं।गैरखातेदारी दावा करने का अधिकारी नही है। समान आराजीयात पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

दावा का निर्णय हो चुका है तो कानूनी व तथ्यात्मक बिन्दुओं पर अपील ठहरती नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2017 का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के दावे में अपीलांट व रेस्पो0 सभी वादी हैं। विवादित आराजीयात भी समान है। उक्त दावे में खातेदारी बाबत अनुतोष चाहा गया है। वादीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं।

यहां मुख्य रूप से कब्जे से संबंधित प्रश्न का निर्धारण किया जाना है। राजस्व रिकार्ड से यह साबित नही होता है कि अपीलांट व रेस्पो0 के मध्य विभाजन हो गया है तथा खाते अलग–2 हो गये हैं। अधीनस्थ अदालत में दावा खातेदारी अधिकारी की घोषणा से संबंधित है तथा तहत अदालत सहायक कलक्टर अलवर में उक्त दावे में अपीलांट व रेस्पो0 सभी आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक सहखातेदार को दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट काबिज खारिज के है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 30.03.2017 को यथावत रखा जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

06/12/19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)